

आदेश न इजलासा डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 328/2024 (धारा 14 सिमेंटीकरण/जेशन)
एस.बी.एफ.सी. फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम रॉयल बिजनेस फिनकोडिड इण्डिया प्रा. लि.) प्रथम मज, राजधानी ग्लास हाऊस के जयपुर, गेटो गिलर नं. 63 के सामने, अजमेर रोड के सामने, रीडाबला, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री प्रदीप कुमार शर्मा,
2. श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा,
पता :- प्लेट नं. 101, फ्लॉट नं. 09, खुशी विहार, मानसरोवर, जयपुर
एवं प्लेट नं. 101, ग्राउण्ड प्लोर, फ्लॉट नं. 09, ग्राम गणपतपुरा, खुशी विहार, रीगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर


**The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002**

उपरिष्ठत :- गुरांत बेग, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक : 07.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.02.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती पूजा शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति फ्लॉट नं. 09, ग्राम गणपतपुरा, योजना खुशी विहार, रीगानेर, जयपुर के ग्राउण्ड प्लोर पर स्थित प्लेट संख्या 101, क्षेत्रफल 1074.57 वर्गमीटर को बंधक रख कर कुल राशि 21,32,745/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में अराफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मज ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का शैतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तमुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गलीगलति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 21,32,745/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 22,62,718/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.08.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थनात्मक द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का सुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अभिविग्रह के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अभिविग्रह की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के अन्तर्गत में आवश्यक सपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में उदरत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पूजा शर्मा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 09, ग्राम गणपतपुरा, योजना खुशी विहार, सांगानैर, जयपुर के झरुण्ड फ्लोर पर स्थित फ्लैट संख्या 101, क्षेत्रफल 1074.57 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जपिये सम्बंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्रानीय को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं फातना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रबन्दी नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

ज़िला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर